23/8/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर कई बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता उभय पक्ष अथवा उभय पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 जा. दी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2010
00039

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.28 17:06:25 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)